

मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों का विश्लेषात्मक अध्ययन

राहुल रैकवार*
डॉ. एस.के. खटीक**

सार

किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये सरकार द्वारा प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा जोखा बजट के माध्यम से करती है। इसीलिये कहा जाता है कि जनता का पैसा जनता के लिये ही उपयोग होता है। इस शोध अध्ययन के अन्तर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण किया गया है जिसमें कि अधिकतम प्राप्तियाँ कर राजस्व एवं गैर कर-राजस्व से प्राप्त हो रही हैं। परंतु कर राजस्व के अन्तर्गत कर राजस्व की प्राप्तियाँ तीव्र गति से हो रही हैं जो मुख्य रूप से आय और व्यय पर कर, सम्पत्ति और पूँजीगत लेन-देन पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार गैर कर राजस्व की प्राप्तियाँ मुख्य रूप से राजकोषीय सेवाओं, समान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से प्राप्त हो रही हैं। इन दोनों प्राप्तियों की आय मध्यप्रदेश राज्य के विकास में उपयोग की जा रही है। कर से प्राप्तियों एवं गैर कर से प्राप्तियों में सार्थक अन्तर है क्योंकि आय की प्राप्ति दोनों में समान रूप से प्राप्त नहीं हो रही है।

शब्दकोश: कर राजस्व की प्राप्तियाँ, गैर कर राजस्व की प्राप्तियाँ, बजट।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आर्थिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने लगी हैं। मध्यप्रदेश सरकार के सामने अनेक ऐसी समस्यायें हैं जिनका समाधान बिना सरकारी सहायता के सम्भव नहीं है। जैसे – बैरोजगारी को कम करना, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करना, आर्थिक कल्याण के लिये चलाया जा रही योजनाओं को सुचारू रूप से चालू रखना, औद्योगिक विकास करना, शहर की सड़कें नालियां, विद्युतीकरण करना, कृषि क्षेत्र में विकास करना, इन सभी स्तरों पर विकास के लिये प्राप्तियों की आवश्यकता होती है और यदि यह प्राप्तियाँ प्रदेश सरकार को सही समय पर नहीं मिलेंगी तो सरकार, प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं कर सकती हैं। इन आर्थिक विकास के लिये जनता से विभिन्न तरीकों से पैसा सरकार एकत्रित करती हैं और यह पैसा जनता के विकास के लिये लगाती हैं जिससे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊँचा हो सके, आर्थिक सुविधा अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधा में सुधार हो और शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इसीलिये कहा जाता है कि “जनता से यह पैसा भिन्न-भिन्न साधनों से लिया जाता है। जो इस प्रकार है :— जैसे — प्रदेश सरकार कर राजस्व के रूप में पैसा एकत्रित करती है। कर राजस्व के अन्तर्गत आयकर, निगम कर, होटल प्राप्ति कर, वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्ति कर से पैसा एकत्रित करती है। सरकार के और भी साधन हैं जो गैर कर साधन के अन्तर्गत आते हैं जैसे भू-राजस्व के रूप में पैसा

* शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

** प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

एकत्रित करती है। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, धन कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के द्वारा प्राप्त करती है। प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री, व्यापार, वाहन पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर तथा सेवा कर, विद्युत शुल्क सीमा शुल्क और सरकार को समय—समय पर केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता रहता है। जिससे प्रदेश सरकार की आय प्राप्ति का साधन ही मानेंग। यह सब पैसा जनता के आर्थिक विकास के लिये प्रदेश सरकार खर्च करती है। इसके बिना प्रदेश का आर्थिक प्रणाली या गति अवरुद्ध हो जायेगी इसलिये कोई भी सरकार के लिये आज आय प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। बल्कि आर्थिक असामनता, बेराजगारी व आर्थिक उतार—चढ़ाव को रोकने के लिये भी एक शक्तिशाली अस्त्र है। अंग्रेजों के समय सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र सीमित था परंतु आज इसका क्षेत्र अब व्यापक हो गया है।

शोध विषय के अध्ययन का औचित्य

इस शोध विषय पर अध्ययन इसलिये किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व में आय की प्राप्तियों के द्वारा राज्य के आर्थिक विकास की नींव रखी है तथा यदि राज्य सरकार को जनता के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता तो कभी राज्य का विकास नहीं होता तथा सभी आर्थिक क्रियायें और आर्थिक नीतियों का चलना होता इसलिये कहा जाता है कि जनता का पैसा जनता के विकास के लिये होता है। इस शोध विषय का अध्ययन से यह ज्ञात करना चाहते हैं कि राज्य सरकार को कर—राजस्व एवं गैर—राजस्व के रूप में जो आय की प्राप्ति हो रही है, इसमें कौन सी मद से ज्यादा प्राप्ति होती है और कौन सी मद से कम होती है। इन्हीं मदों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। इन मदों का विश्लेषणात्मक अध्ययन में जो मर्दें हैं वह इस प्रकार है। जैसे — निगम कर, होटल कर, धन कर, भू—राजस्व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर के रूप में राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर, विद्युत कर शुल्क और सेवा कर आदि से जो आय होती है। राज्य सरकार को अपनी आर्थिक नीतियां का क्रियात्मक तथा क्रियाओं के आर्थिक विकास में मदद करती है। इस शोध से यह ज्ञात करना है कि कौन सी मद से सरकार को आय ज्यादा और कौन सी मद से कर, इन सभी मदों विश्लेषणात्मक अध्ययन इस शोध विषय में किया जा रहा है।

शोध साहित्य का पुर्णावलोकन

- मोटिका सिन्हा रिबांई (2024) :-** के अनुसार “भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की राजकोषीय पहेली” का शोध किया है। सार्वजनिक बजट के सुचारू संचालन के लिये मैको राजकोषीय साधनों के साथ विकास की आवश्यकता होती है। इस पृष्ठभूमि में अध्ययन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक बजट में मैको—राजकोषीय का निर्धारकों का अनुमान लगाना है। राजकोषीय क्षमता, राजकोषीय निर्भरता और राजस्व आधार का प्रतिशत अनुमान एन.ई.एस. में एक समान राजकोषीय पहेली को दर्शाता है। अनुभवजन्य अनुमान प्रक्रिया इकाई मूल परीक्षण से शुरू होती है। उसके बाद पेड़ोनी सह—एकीकरण परीक्षण उसके बाद पूरी तरह से संशोधित कम से कम वर्ग और गतिशील कम से कम वर्ग मॉडल का उपयोग करके सम्बंध की डिग्री का अनुमान लगाया जाता है।
- पिनाकी चक्रवर्ती (2014) :-** के अनुसार ‘राजकोषीय सुधार, राजकोषीय नियम और विकास व्यय में दो दशक का भारतीय अनुभव’ का शोध किया है। यह शोध राजकोषीय सुधारों, राजकोषीय नियमों और विकास व्यय के बीच अंतर्संबंधों की जांचें करता है। इसका उद्देश्य विकास व्यय पर राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के प्रभाव में समझना है।
- वसीम अकरम (2019) :-** के अनुसार “भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्थिरता के बारे में हम क्या जानते हैं।” यह अध्ययन 1980–81 से 2017–18 तक भारतीय राज्य स्तरीय आंकड़ों का उपयोग करके राजकोषीय स्थिरता की जांच करता है। सह—एकीकरण और गतिशील साधारण न्यूनतम वर्ग तकनीकों से प्राप्त परिणाम अधिकांश राज्यों के लिये मजबूत राजकोषीय स्थिरता दिखाते हैं। हमारे परिणाम यह भी पुष्टि करते हैं कि उत्तरी—पश्चिमी और दक्षिणी राज्य पूर्वी राज्यों की तुलना में अधिक राजकोषीय

रूप से टिकाऊ हैं। इसके अलावा हम राजस्व और पूँजी खाता दोनों के लिये राजकोषीय सरेखा कुछ राज्यों को छोड़कर राजकोषीय स्थिरता को प्रभावित नहीं करता है।

- **क्रिस्टोफर ऐडम (2001)** :- के अनुसार “विकासशील देशों में विकास पर राजकोषीय घाटे के गैर-रैखिक प्रभाव” का शोध पत्र किया गया है। यह शोध पत्र पर विकासशील देशों के पैनल के लिये राजकोषीय घाटे और वृद्धि के बीच संबंधों की जांच करता है। इसमें घाटे के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.5 प्रतिशत पर सीमा प्रभाव के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि घाटे को इस स्तर तक कम करने से वृद्धि का लाभ मिलता है।
- **कविता कुमारी साहू (2024)** :- के अनुसार “भारत में राजकोषीय घाटे के नीतिगत निहितार्थ और इसकी प्रवृत्तियाँ : एक अर्थमिश्रीय विश्लेषण” शोध पत्र लिखा है। इस शोध पत्र में 1993–94 से 2022–2024 तक भारत में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति का पता लगाने और यह भी निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में भारत में राजकोषीय घाटे, सरकारी राजस्व और व्यय के बीच कार्य करने का विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है। इसलिये यह शोध पत्र एक निदानात्मक शोध डिजाइन का अनुसरण करता है और भारत सरकार के बजट और वित्त दस्तावेजों से एकत्र किये गये द्वितीयक डेटा पर आधारित है।

शोध विषय के अध्ययन का उद्देश्य

शोध विषय के अध्ययन का उद्देश्य निम्न प्रकार है –

- मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों की अवधारणा का अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों का अध्ययन करना।
- **शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना इस प्रकार है :-**
- मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व के प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व एवं गैर-राजस्व की प्राप्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विषय के अध्ययन की शोध संरचना

शोध कार्य को करने के लिये समको एवं साहित्यों की आवश्यकता पड़ती है। बिना समको एवं साहित्य के अभाव में शोध कार्य का आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिये शोध अध्ययन के लिये शोध एवं साहित्य का अधिक महत्व है। शोध कार्य को करने के लिये द्वितीयक समको का उपयोग किया गया है जिसके अंतर्गत प्रकाशित विषय से संबंधित शोध साहित्य के आधार पर शोध कार्य का निष्पत्तन किया है तथा द्वितीयक समंकों के अन्तर्गत और भी साधन जैसे बजट सांख्यिकी प्रतिवेदन, प्रकाशित दस्तावेज तथा आर्थिक-सर्वेक्षण, इंटरनेट एवं अन्य प्रकाशित दस्तावेज जो समय-समय पर सरकार तथा गैर सरकारी एजेन्सी प्रदर्शित करती है। उन सब से शोध कार्य किया जाता है। शोध संरचना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है जिससे सरकार की आय प्राप्ति के साधनों के आधार पर आर्थिक नीतियाँ एवं योजना बना सके। शोध विषय के अध्ययन में लिये गये परिकल्पनाओं का परीक्षण स्टूडेन्ट टी-टेस्ट के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिये की गयी परिकल्पनायें सार्थक हैं, अभाव नहीं है।

शोध विषय के अध्ययन की सीमायें

शोध विषय के अध्ययन की सीमायें निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है :-

- पर्याप्त समंक एवं साहित्य का अभाव है।
- समंकों के सामूहीकरण एवं वर्गीकरण शोध विषय की आवश्यकता अनुसार किया है।
- समंकों में विश्वसनीयता अंकेक्षण पर निर्भर करती है।
- इस शोध विषय का अध्ययन मात्र दस वर्ष का लिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

लोक वित्त के इतिहास से ज्ञात होता है कि राजकोषीय राजस्व की नीति में समय—समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। परम्परावादियों के अनुसार बजट संतुलित अथवा बचत के होने चाहिये। उस समय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व था और सरकारी हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया गया था। उस समय राजकोषीय नीति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उसमें उतने नियंत्रण व प्रतिबन्ध नहीं थे और उसका उद्देश्य भी आज से भिन्न था परन्तु 1930 की विश्वव्यापी मन्दी के समय से राजकोषीय नीति में परिवर्तन आने लगा। 1930 के बाद से राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये किया जाने लगा और आज तो प्रायः सभी देशों में राजकोषीय नीति का प्रयोग आर्थिक स्थिरता, कीमत नियंत्रण, बेरोजगारी को दूर करने तथा आर्थिक विकास के लिये किया जाने लगा है।

आज ज्यों-ज्यों आर्थिक समस्यायें जटिल होती जा रही हैं, त्यों-त्यों लोगों का ध्यान राजकोषीय राजस्व नीति की ओर जाने लगा है। इस नीति का सहारा लेकर ही अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राजकोषीय राजस्व नीति व्यय, ऋण, कर राजस्व से आय तथा गैर—कर राजस्व से आय, हीतार्थ प्रबंध आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखती है। राजकोषीय राजस्व के आधार पर सरकार कर—रोपण करती है। वह यह देखती है कि राज्य में लोगों की वरदान क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। इन सब बातों का अनुमान लगाकर ही सरकार करों का निर्धारण करती है। सरकार राजकोषीय राजस्व की नीति के आधार पर यह भी निर्धारित करती है कि लोगों से कैसे और कितनी मात्रा में आय प्राप्त की जाये।

राज्य के आर्थिक विकास के लिये जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें वित्त प्रमुख साधन है। बिना वित्त के राज्य का विकास नहीं हो सकता है इसलिये कहा जाता है कि ‘जनता का पैसा जनता के विकास के लिये होता है’। राज्य का आर्थिक विकास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या संबंधी एवं आर्थित्व तत्वों पर निर्भर करता है। राज्य के आर्थिक विकास में वित्त की पूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान करती है। आधे विश्व का प्रत्येक देश या राज्य चाहे वह समाजवादी हो या पूँजीवादी हो, उसके लिये आर्थिक नियोजन को स्थीकार करने लगा है। यही नहीं आर्थिक नियोजन तो आज सभी राज्यों के लिये रामबाण औषधि का कार्य करने लगा है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक पेचीदा प्रक्रिया है, जिसके बारे में अभी तक अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इन राज्यों के लिये पूँजीगत साजों सामान जैसे औजार, यंत्र, मशीनों आदि की आवश्यकता होती है। बिना इनके कोई भी राज्य अपना विकास नहीं कर सकता है। यह युग यांत्रिकीकरण का युग है। आज की उत्पादन प्रणाली काफी जटिल है। प्राचीन काल में उत्पादन प्रणाली सीधी—सादी थी परन्तु आज यह काफी खर्चीली हो गयी है। प्राचीन काल का उत्पादन तो मानव श्रम पर आधारित था परन्तु आज उत्पादन स्वचलित मशीनों से किया जाता है। राज्यों को नये—नये कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेना होता है। इन सबके लिये उसे बहुत बड़े पैमाने पर धन खर्च करना होता है। उसके लिये सरकार आय पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार आय की प्राप्ति के लिये कर राजस्व से संबंधी नीतियां बनाती हैं। जैसे कि सरकार आयकर, निगम कर, होटल प्राप्ति कर, मनोरंजन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, माल एवं यात्रियों पर कर के रूप में आय की प्राप्ति करती है और अन्य साधनों से भी सरकार को आय प्राप्ति होती है। जैसे कि सरकार को केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है, जो कि आय प्राप्ति का साधन है और गैर—कर राजस्व के रूप में राज्य सरकार को आय प्राप्ति होती है। ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश और लाभ का पुलिस के द्वारा भी पैसा एकत्रित किया जाता है। जो कि सामान्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार को सामाजिक सेवाओं के द्वारा भी आय की प्राप्ति होती है। जैसे—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, आवास और शहरी विकास, श्रम और रोजगार के द्वारा आय की प्राप्ति होती है और मध्यप्रदेश सरकार को राजकोषीय राजस्व से प्राप्ति आर्थिक क्रियाओं से होती है। जैसे—कृषि आय, पशुपालन, डेयरी विकास, सहकारिता और

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, वानिकी और वन्य जीवन, अलोट धातु खनन, सिंचाई और भी अन्य साधनों से सरकार को आय प्राप्त होती है और इस आय का प्रयोग जनता के कल्याण के लिये किया जाता है।

मध्यप्रदेश राजकोषीय राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण अध्ययन किया जा रहा है। सरकार किसी भी देश या प्रदेश को विकास के लिए आय से प्राप्तियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बिना वित्त के कोई भी राज्य विकास एवं सामाजिक कल्याण नहीं कर सकत है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक कर राजस्व की प्राप्तियों एवं गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में निम्न तालिका में कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व के प्रमुख शीर्षों का योगदान दर्शाया गया है।

कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़)

क्र	कर राजस्व के प्रमुख शीर्ष (प्राप्तियों)	2013–14 ₹	2014–15 ₹	2015–16 ₹	2016–17 ₹	2017–18 ₹	2018–19 ₹	2019–20 ₹	2020–21 ₹	2021–22 ₹	2022–23 ₹
	आय और व्यय पर कर	12944.94	14713.87	20795.22	25333.84	29058.64	35137.38	30422.60	28987.04	41467.87	49733.77
1.	निगम कर तथा निगम कर से भिन्न आय पर कर	12669.82	14429.82	20478.50	25004.27	28715.78	34712.08	30112.99	28666.36	41151.48	49389.70
2.	होटल प्राप्ति कर	0.30	0.10	0.34	2.15	0.63	0.01	0.14	0.00	0.04	0.00
3.	आय तथा व्यय पर अन्य	274.82	283.95	316.38	327.42	342.23	425.29	309.47	320.68	316.34	344.07
	सम्पत्ति और पूँजीगत लेनदेने कर	4454.16	4793.61	4724.49	4949.38	5922.75	6370.39	6851.13	8058.67	9648.33	10611.22
1..	भू-राजस्व	366.23	243.10	276.86	406.65	490.99	383.91	562.37	503.70	732.72	956.39
2.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3400.00	3892.77	3867.69	3925.43	4788.51	5277.99	5568.59	6816.53	8098.41	8811.91
3.	घन कर	20.98	22.73	2.74	33.78	(-) 0.47	7.34	0.73	0.00	4.15	0.00
4.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	666.94	635.01	577.20	583.52	643.72	701.15	719.44	738.44	813.05	842.91
	बरतुओं और सेवाओं पर कर	38868.33	41166.63	53091.78	59974.53	60682.53	66971.80	68067.57	64326.95	84662.64	86808.41
1.	कंद्रीय जी.एस.टी.	-	-	-	-	716.48	14187.62	14051.51	13946.58	19855.36	21064.17
2.	राज्य जी.एस.टी.	-	-	-	-	8696.12	18618.65	20447.77	17257.50	22028.52	23396.79
3.	समीकृत जी.एस.टी.	-	-	-	-	5132.48	1132.20	-	-	-	-
4.	सीमा तथा संघ उत्पाद शुल्क	6323.88	6100.34	11233.98	13591.81	10494.20	6782.38	5321.02	4072.17	7596.61	3849.75
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	5907.39	6695.54	7922.84	7532.59	8245.01	9542.15	10829.35	9526.34	10334.48	12954.56
6.	विक्री, व्यापार आदि पर कर	16649.85	18135.96	19806.14	22561.12	14984.03	9903.20	11257.71	13296.34	16184.77	17718.99
7.	वाहनों पर कर	1598.93	1823.84	1933.57	2251.51	2691.62	3008.26	3251.23	2749.15	3028.68	4027.57
8.	माल तथा यात्रियों पर कर	2578.74	2686.39	3084.76	3805.04	1159.30	117.50	145.02	75.03	63.94	58.92
9.	विद्युत कर तथा शुल्क	1972.20	2010.20	2257.83	2620.53	2590.29	2616.29	2268.00	2608.38	4581.58	3497.85
10.	सेवा कर	3700.60	3553.91	6655.84	7434.11	5794.60	531.47	0.00	203.41	862.82	116.54
11.	बरतुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	136.74	160.45	196.82	177.82	178.40	532.08	495.96	592.06	125.88	123.25
	कुल योग	56267.43	60674.11	78611.49	90257.75	95663.92	108479.58	105341.30	101372.66	135778.84	147153.40

स्रोत : मध्यप्रदेश सरकार का बजट

गैर कर (भिन्न) राजस्व की प्राप्तियाँ

(राशि रु. करोड़)

क्र	कर भिन्न राजस्व के स्रोत	2013–14 ₹	2014–15 ₹	2015–16 ₹	2016–17 ₹	2017–18 ₹	2018–19 ₹	2019–20 ₹	2020–21 ₹	2021–22 ₹	2022–23 ₹
	राजकोषीय सेवाये										
	व्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	696.58	1341.01	559.11	813.16	1261.47	1227.59	918.51	531.45	1782.46	4729.03
1.	व्याज प्राप्तियाँ	317.85	1206.66	429.47	581.66	639.11	880.33	442.55	243.01	1643.73	4569.45
2.	लाभांश और लाभ	378.72	80.35	129.64	231.50	622.36	347.26	475.96	288.44	138.73	149.58
	सामाजिक सेवाये	598.28	594.43	1278.31	663.58	515.95	1671.45	1074.41	1180.93	721.24	780.96
1.	पुलिस	71.92	97.37	114.78	156.08	128.19	149.35	129.28	181.31	224.93	266.36
2.	लोक निमाण कार्य	46.92	50.82	65.71	115.93	124.94	151.75	117.91	107.97	62.38	53.54
3.	अन्य	479.44	446.24	1097.82	391.57	262.82	1370.36	827.22	891.65	433.93	461.06
	सामाजिक सेवाये	2197.37	3695.95	1784.11	2338.64	1608.41	2781.35	2588.66	1748.61	3513.03	2249.62
1.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2008.49	3276.10	1252.41	1824.03	1309.69	2366.39	2059.65	1382.51	3018.73	1840.31
2.	चिकित्सा तथा लोक चारस्थ, परिवार कल्याण, जलपूर्ति तथा सफाई	68.25	126.99	254.66	198.29	146.23	240.03	189.08	227.10	212.99	197.01

3.	आवास और शहरी विकास	52.91	120.97	54.95	62.68	44.52	43.02	57.63	48.58	47.20	64.24
4.	श्रम और रोजगार	17.17	17.14	19.40	26.18	26.63	27.18	35.40	25.30	29.54	45.67
5.	अन्य	50.55	154.75	202.69	227.46	81.34	104.73	246.90	65.11	204.57	102.39
	आर्थिक सेवाएं	4212.76	4743.85	4947.26	5271.13	5675.36	7607.13	5767.98	6441.14	9288.14	77763.59
1.	कृषि कार्य, पशुपालन, डेरी विकास सहकारिता और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	47.70	101.32	149.44	93.11	79.71	100.11	88.85	60.12	61.23	2269.83
2.	वानिकी और वन्य जीवन	1036.80	968.77	1001.71	917.98	1112.25	2009.76	834.26	1240.38	1406.02	1395.01
3.	अलाह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा अन्य	2312.00	2832.11	3073.72	3191.40	3640.72	3934.55	4349.39	4557.86	6180.85	7360.18
4.	सिंचाइ (पुहव / मध्यम / लघु)	357.85	437.33	482.89	574.36	523.90	1230.51	406.59	413.52	567.71	663.08
5.	अन्य	458.41	404.32	239.50	494.28	318.75	332.20	88.89	169.26	1072.33	430.57
	कुल योग	7704.99	10375.24	8568.79	9086.51	9061.18	13287.52	10349.56	9902.13	15304.87	85523.26

स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार बजट

व्याख्या

वित्तीय वर्ष 2013–2014 से 2022–2023 के बीच म.प्र. के राजकोषीय राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों के आय और व्यय पर कर से जो प्राप्तियां हुई हैं वो इस प्रकार हैं। 2013–14 में 12944.94 करोड़, 2014–15 में 14713.87 करोड़, 2015–16 में 20795.22 करोड़, 2016–17 में 25333.84 करोड़, 2017–18 में 29058.64 करोड़, 2018–19 में 35137.38 करोड़, 2019–20 में 30422.60 करोड़, 2020–21 में 28987.04 करोड़, 2021–22 में 41467.87 करोड़, 2022–23 में 49733.77 करोड़, इन आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच में म.प्र. की प्राप्तियों में धीरे–धीरे वृद्धि देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व के अंतर्गत कर राजस्व में सम्पत्तियां और लेन–देन पर कर से प्राप्तियां होती हैं जो 2013–14 से 2022–23 की अवधि के बीच में प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं। 2013–14 में 4454.16 करोड़, 2014–15 में 4793.01 करोड़, 2015–16 में 4724.49 करोड़, 2016–17 में 4949.38 करोड़, 2017–18 में 5922.75 करोड़, 2018–19 में 6370.39 करोड़, 2019–20 में 6851.13 करोड़, 2020–21 में 8058.67 करोड़, 2021–22 में 9648.33 करोड़, 2022–23 में 10611.22 करोड़। इन आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 में सम्पत्ति और पूंजीगत लेन–देन पर 4793.61 करोड़ था, जबकि यह वर्ष 2015–16 में घटकर 4724.47 करोड़ हो गया था। ऐसा कर की दरों में बदलाव के कारण हुआ है। लेकिन वर्ष 2016–17 से 2022–23 की अवधि के बीच कर राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है।

मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वस्तुओं एवं सेवायें कर से भी प्राप्त होती हैं। वर्ष 2013–14 से 2016–17 के बीच वस्तु और सेवा कर नहीं था, उस समय मध्यप्रदेश वेट कर के रूप में प्राप्ति होती थी तथा आर्थिक विकास के साथ आज भी बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों में वेट से भी राजस्व में वृद्धि देखने को मिली। वह 2 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया जिसने वेट की जगह स्थापित हुआ इसने मध्यप्रदेश में व्यापारियों या उपभोक्ता दोनों को अनेकों लाभ हुआ क्योंकि इन्हें अब जगह–जगह कर नहीं चुकाने पड़ते हैं अब एक ही जगह पर कर लगाया जाता है जिससे कि भुगतान करने में सरलता और कर की चोरी को कम किया गया। फिर व्यापारिक गतिविधियों में तेजी के साथ सुधार देखने को मिला और जैसे गतिविधियों सामान्य हुई फिर वैसे–वैसे वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि के साथ संग्रह बढ़ा।

मध्यप्रदेश के राजकोषीय के अंतर्गत गैर–कर राजस्व से भी प्राप्तियां होती हैं। मध्यप्रदेश में राजकोषीय सेवाओं से आय की प्राप्ति होती है। 2013–14 से 2022–23 के बीच इस प्रकार प्राप्त हुई है। 2013–14 से 2022–23 की अवधि के बीच में प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं। 2013–14 में 696.58 करोड़, 2014–15 में 1341.01 करोड़, 2015–16 में 559.11 करोड़, 2015–16 की तुलना में 2014–15 में आय की प्राप्ति ज्यादा हुई फिर

2015–16 में कमी देखी जा रही। फिर 2016–17 में 813.16 करोड़, 2017–18 में 1261.47 करोड़, दोनों में काफी वृद्धि हुई क्योंकि इसी बीच नोटबन्दी का असर देखा गया था। फिर 2018–19 में 1227.59 करोड़, 2019–20 में 918.51 करोड़, 2020–21 में 531.45 करोड़, तीनों वित्तीय वर्ष में लगातार कमी देखी गई क्योंकि इसी बीच कोविड–19 की महामारी चल रही थी, यही इसका कारण था। फिर 2021–22 में 1782.45 करोड़, तथा 2022–23 में 4729.03 करोड़ में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

सामाजिक सेवाओं के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति होती है जैसे 2013–14 से 2022–23 की अवधि के बीच में प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं। 2013–14 में 2197.37 करोड़, 2014–15 में 3695.95 करोड़, फिर कमी देखी जा रही जो 2015–16 में 1784.11 करोड़ प्राप्त हुये हैं। 2016–17 में 2338.64 करोड़ रूपये प्राप्त हुये, 2017–18 में 1608.41 करोड़, 2018–19 में 2781.35 करोड़, 2019–20 में 2588.66 करोड़, 2020–21 में 1748.61 करोड़, 2021–22 में 3513.03 करोड़, 2022–23 में 2249.62 करोड़ प्राप्त हुये। इससे यह पता चलता ह कि सामाजिक सेवाओं से आय की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष परिवर्तन देखा गया है। ये प्राप्तियाँ कभी बढ़ जाती हैं तो कभी कम हो जाती हैं।

आर्थिक सेवाओं के रूप में मध्यप्रदेश सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इसमें आय की प्राप्ति 2013–14 से 2022–23 लगतार वृद्धि देखी गई, किसी भी वर्ष में कमी नहीं देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि आर्थिक सेवाओं के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति ज्यादा होती है। सामाजिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों से मध्यप्रदेश सरकार की आय होती है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना इस प्रकार है :—

- मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व के प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में सार्थक अन्तर नहीं है।

$$r = 0.63$$

$$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \times \sqrt{n-2}$$

$$t = 2.307$$

$$t \text{ 0.05} = 1.86$$

अवलोकन

t परीक्षण के उपरान्त गणना की गई, अंसनम 2.307 है। जबकि सारणीयन मान 1.86 है। ऐसी स्थिति में गणना की गई अंसनम सारणीयन मान से अधिक होने के कारण शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना अस्वीकार है अर्थात् सार्थक अन्तर है। जो स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व की प्राप्तियाँ, गैर कर राजस्व की प्राप्तियों से अधिक हैं। इसलिये इन प्राप्तियों के बीच में सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस शोध विषय के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश के राजकोषीय राजस्व की प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व की प्राप्तियाँ निरन्तर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं जिससे सरकार की आय में वृद्धि हो रही है। ये प्राप्तियाँ अधिक गति से बढ़ रही हैं। जो इस प्रकार है। आय और व्यय पर कर, सम्पत्ति और पूँजीगत लेन–देनों पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कम, परन्तु गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में भी वृद्धि हो रही है। वह राजकोषीय सेवाओं से प्राप्त, सामान्य सेवाओं से, सामाजिक सेवाओं से, आर्थिक सेवाओं से प्राप्त हो रही हैं। यह प्राप्ति ही मध्यप्रदेश के विकास का कार्य करती है।

सुझाव

मध्यप्रदेश सरकार को प्रदेश का अधिक विकास करने के लिये एवं विकास दर की गति बढ़ाने के लिये एवं विकास दर की गति बढ़ाने के लिये कर राजस्व की प्राप्तियों में एवं गैर-कर राजस्व की प्राप्तियों में और अधिक वृद्धि करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, (2023) आर्थिक एवं साञ्चिकी संचालनालय भोपाल म.प्र.
2. मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट, 2013–14 – 2022–23.
3. श्रीवास्तव ओ.एस. (2019) : मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. वित्त आयोग की रिपोर्ट, 2018–19 से 2022–23।
5. म.प्र. सरकार कर राजस्व प्राप्तियाँ (2011–2023), शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर (म.प्र.)

पत्र-पत्रिकायें

6. दैनिक भास्कर
7. राज एक्सप्रेस
8. मध्यप्रदेश साप्ताहिक पत्रिका

वेबसाईट :

9. www.mprevenue.nic.in
10. www.mptreasury.org

